



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-बी.आर.-अ.-17122025-268576
CG-BR-E-17122025-268576

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5613]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 16, 2025/अग्रहायण 25, 1947

No. 5613]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 16, 2025/AGRAHAYANA 25, 1947

रेल मंत्रालय
(पूर्व मध्य रेलवे)
अधिसूचना

पटना, 26 नवम्बर, 2025

का.आ. 5808(अ).— रेल संशोधन अधिनियम ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 37 के खंड 2 की धारा 2008 पूर्व मध्य रेल के द्वारा/प्रयोग करते हुए महाप्रबंधकपूर्व मध्य रेल की रक्सौल स्थित समपार फाटक संख्या 33'ए' एवं 34'ए' के बदले ऊपरी सड़क पुल के निर्माण को विशेष रेलवे परियोजना घोषित करने की स्वीकृति दी गई है। इसीलिए पूर्व मध्य रेल की रक्सौल स्थित समपार फाटक संख्या 33'ए' एवं 34'ए' के बदले ऊपरी सड़क पुल के निर्माण को बिहार राज्य में "विशेष रेलवे परियोजना" घोषित किया जाता है।

[फा. सं. No. ECR/CAO/C/N/ROB/33A/34A/1]

राम जन्म, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी निर्माण/उत्तर

MINISTRY OF RAILWAYS

(East Central Railway)

NOTIFICATION

Patna, the 26th November, 2025

S.O. 5808(E).— In Exercise of Power conferred by clause 37A of section 2 of the Railway (Amendment) Act 2008, General Manager/East Central Railway has approved to declare "Construction of ROB in Raxaul in Lieu

of Level Crossing No. 33A & 34A of East Central Railway” as special Railway Project. Therefore, “Construction of ROB in Raxaul in Lieu of Level Crossing No. 33A & 34A of East Central Railway” is declared as Special Railway Project in the State of Bihar.

[F. No. ECR/CAO/C/N/ROB/33A/34A/1]

RAM JANM, CAO/Con./North